राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, सीकर (राज0)

क्रमांक :– रसद / एफपीएस नियुक्ति / 2026 / 669 दिनांक :– 25/9/2026

–:विज्ञप्तिः–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिले में रिक्त / नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों / संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इस कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 17.07.2025, 07.08.2025 एवं 31.10.2025 में से ऐसी विज्ञप्तित स्थान जहां पर एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं 05 स्थानों पर आवेदक निर्धारित योग्यता पूर्ण नहीं करने के कारण स्थान रिक्त है पर पुनः आवेदन आमंत्रित किये जाते है। उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन दिनांक 29.09.2026 से 28.10.2026 तक कार्यदिवस के दौरान समय 11.00 एएम से 04.00 पीएम तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमाण्ड ड्राफ्ट जिला रसद अधिकारी, सीकर के पक्ष में प्रस्तुत कर, प्राप्त किया जा सकेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2026 को सायं 04 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में जिला रसद कार्यालय, सीकर में जमा कराए जा सकते है। निर्धारित तिथि / समय बाद अथवा अपूर्ण आवेदन–पत्रो या अन्य स्रोतो से प्राप्त आवेदन–पत्रो पर विचार नही किया जावेगा। **शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड सीमांकन से पूर्व के पुराने वार्ड है।**

रिक्त / नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	तहसील	विज्ञप्तित स्थान	ग्राम पचांयत / नगरपालिका	विज्ञप्तित स्थान का पोस कोड	प्रस्तावित दुकान की वर्तमान की स्थिति (रिक्त / नवसृजित)	आरक्षण की स्थिति
1	खण्डेला	भोपतपुरा	मालाकाली	22010	रिक्त	महिला आरक्षित
2	खण्डेला	जाजोद	जाजोद	22057	रिक्त	महिला आरक्षित
3	खण्डेला	वार्ड नंबर 1 रींगस	रींगस	16616	रिक्त	सामान्य
4	दांतारामगढ	वार्ड 06 खाटू	खाटू	7997	रिक्त	महिला आरक्षित
5	दांतारामगढ	चक मिटाई	भारीजा	–	नवसृजित	सामान्य
6	नीमकाथाना	वार्ड नंबर 5 नीम का थाना	नीम का थाना	16545	रिक्त	महिला आरक्षित
7	नीमकाथाना	वार्ड न 07 नीम का थाना	नीमकाथाना	16548	रिक्त	महिला आरक्षित
8	नीमकाथाना	वार्ड न 09 नीम का थाना	नीमकाथाना	16552	रिक्त	महिला आरक्षित
9	नीमकाथाना	वार्ड न 11 नीम का थाना	नीमकाथाना	16555	रिक्त	महिला आरक्षित

10	नीमकाथाना	वार्ड नंबर 12 नीम का थाना	नीमकाथाना	16556	रिक्त	महिला आरक्षित
11	नीमकाथाना	वार्ड न 13 नीम का थाना	नीमकाथाना	16558	रिक्त	महिला आरक्षित
12	नीमकाथाना	वार्ड न 16 नीम का थाना	नीम का थाना	16563	रिक्त	महिला आरक्षित
13	नीमकाथाना	वार्ड न 23 नीम का थाना	नीम का थाना	16560	रिक्त	सामान्य
14	फतेहपुर	जलालसर	अठवास	7901	रिक्त	महिला आरक्षित
15	फतेहपुर	बाठोद	बाठोद	7903	रिक्त	महिला आरक्षित
16	फतेहपुर	वार्ड न 5 फतेहपुर	फतेहपुर	16642	रिक्त	सामान्य
17	फतेहपुर	कल्याणपुरा	रोहलसाहबसर	23856	रिक्त	सामान्य
18	लक्ष्मणगढ	वार्ड नंबर 24 लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	16766	रिक्त	महिला आरक्षित
19	लक्ष्मणगढ	वार्ड नंबर 25 लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	16767	रिक्त	सामान्य
20	लक्ष्मणगढ	वार्ड न 28 लक्ष्मणगढ	लक्ष्मणगढ	16771	रिक्त	सामान्य
21	श्रीमाधोपुर	भारनी	भारनी	21985	रिक्त	सामान्य
22	सीकर	वार्ड नंबर 29 सीकर	सीकर	16426	रिक्त	महिला आरक्षित
23	सीकर	वार्ड नंबर 26 सीकर	सीकर	16419	रिक्त	सामान्य
24	सीकर	वार्ड नंबर 33 सीकर	सीकर	16463	रिक्त	सामान्य

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा–निर्देश क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों तथा एफ. 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर/2019 जयपुर दिनांक 25.11.2020 एवं 10.05.2025 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। विभागीय उचित मूल्य दुकान आवंटन दिशा–निर्देश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट food.rajasthan.gov.in पर तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी सीकर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। आवेदन–पत्र के साथ योग्यताएं एवं शर्ते प्रकाशित की गई है। सभी आवेदक योग्यता एवं शर्तो का आवश्यक रूप से अवलोकन करे। आवेदक द्वारा दी गई सूचनाये गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उचित मूल्य दुकानो की संख्या में कमी/वृद्वि/निरस्त या स्थान परिवर्तन आदि करने के लिए कार्यालय हमेशा सक्षम रहेगा। जिन स्थानो पर विज्ञप्ति उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु के कारण जारी की गई है उस पर आगामी कार्यवाही खाद्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अधीन रहेगी। उक्त विज्ञप्ति में दुकानो का आवंटन/नियुक्ति विभिन्न अपीलीय/न्यायिक न्यायालयो के निर्णयो के अध्याधीन रहेगा।

जिला कलक्टर (रसद)
सीकर

RajKaj Ref No.:
24688868

क्रमांकः– रसद/एफपीएस नियुक्ति/2026/669
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है दिनांक :– 25/9/2026

1. श्रीमान निजी सचिव, माननीय खाद्य मंत्री राजस्थान सरकार।
2. माननीय सांसद/विधायकगण जिला सीकर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग जयपुर।
4. श्रीमान अति. खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग जयपुर।
5. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की बेवसाईट पर अपलोड़ करवाने बाबत्।
6. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला सीकर।
7. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, सीकर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
8. क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक को भेजकर लेख है कि अपने–अपने उपखण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कराना सुनिश्चित करावे।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट, सीकर, उपखण्ड अधिकारी,, समस्त जिला सीकर।
10. रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (रसद),
सीकर

RajKaj Ref No.:
24688868

Document certified by ASHISH MODI
<ASHISHMODI.KGP@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Collector and
District Magistrate
Date :25-09-2026 01:35:17